

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक : सीआरओ/राआमं/2019-20/310


दिनांक : 04/02/2020

कार्यालय आदेश

राजस्थान आवासन मण्डल की 240वीं बैठक दिनांक 17.01.2020 के बिन्दु संख्या 240.20 पर लिए गये निर्णय की पालना में नीलामी प्रक्रिया से सम्बन्धित बोर्ड के आदेश क्रमांक एफ2(3)लागत/1034/650 दिनांक 28.01.2014 के बिन्दु संख्या 12 एवम् 13 को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है :-

बिन्दु संख्या	संशोधन
12	खुली नीलामी हेतु 100 रुपये के गुणांक में बोली स्वीकार करने के स्थान पर न्यूनतम 500 रुपये के गुणांक में बोली स्वीकार्य होगी।
13	मण्डल की समस्त सम्पत्तियों हेतु मोहरबन्द/खुली नीलामी दोनों में से किसी एक के तहत निस्तारण करने हेतु आवासन आयुक्त की स्वीकृति उपरान्त ही कार्यवाही की जायेगी।

उक्त आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होंगे।


(पवन अरोड़ा)
आवासन आयुक्त

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव-अध्यक्ष/आवासन आयुक्त/वित्तीय सलाहकार, रा.आ.मं., जयपुर।
2. मुख्य अभियन्ता-I/II/मुख्यालय/सचिव, रा.आ.म. जयपुर।
3. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-----, रा.आ.मं., जयपुर/जोधपुर।
4. उप आवासन आयुक्त, वृत्त-----, रा.आ.मं.,-----।
5. संयुक्त एनालिस्ट (निदेशक), कम्प्यूटर प्रकोष्ठ, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. वरिष्ठ लेखाधिकारी, लागत प्रकोष्ठ मुख्यालय, रा.आ.मं. जयपुर।
7. आवासीय अभियन्ता, खण्ड-----रा.आ.मं.,-----।
8. सहायक लेखाधिकारी-प्रथम, वृत्त-----, रा.आ.मं.,-----।
9. सम्बन्धित पत्रावली।
10. रक्षित पत्रावली।


वित्तीय सलाहकार